कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क./ 28/अ–82/2019–20/6298

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना-

(भू–अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर– श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **गोठरा** तहसील श्योपुर जिला श्योपुर में कुल **किता 12 कुल रकवा 3.200 हेक्टर** भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला –श्योपुर तहसील श्योपुर के ग्राम **गोठरा** प.ह.न **07** रा.नि. वृत **01** में उक्त परियोजना के लिये **3.200** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है –

क्र.	सर्वे नं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितवद्व व्यक्ति का नाम व पता राजस्व अभिलेखानुसार
1	2	3	4	5	6
1	728	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.480	नरेश पुत्र-शिवनारायण जाति ब्रा0 निवासी गोठरा
2	729	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.268	नरेश पुत्र शिवनारायण जाति ब्रा0 निवासी गोठरा
3	731	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.315	नरेश पुत्र शिवनारायण जाति ब्रा0 निवासी गोठरा
4	732	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.520	नरेश पुत्र शिवनारायण जाति ब्रा0 निवासी गोठरा
5	733	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.435	जगदीश उर्फ बनवारी पुत्र शिवनाराण जाति ब्रा0 निवासी गोठरा
6	734	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.183	जगदीश उर्फ बनवारी पुत्र शिवनाराण जाति ब्रा0 निवासी गोठरा
7	740	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.131	चिरौजी चतरू रामप्रसाद सावरिया धर्मराज पुत्रगण फूल्या पार्वती रामनाथी पुत्रियां फूल्या गुलाव बाई बेवा फूल्या जाति सहर निवासी ग्राम गोठरा
8	741	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.159	सीताराम रमेश पुत्रगण हीरालाल प्रेम पुत्री हीरालाल हिस्सा 3/4 समान भाग मु.कुन्ती वेवा लक्ष्मण गुडडी गणेशी पुत्रीयां लक्ष्मण हि 3/16 समान भाग रूकमा वेवा रामसिंह अनिकेत नाबा0 पुत्र रामसिंह संज्या नाबा0 पुत्री रामसिंह नाबा0 सर0 मां रूकमा हि 1/16 समान भाग जाति सहर निवासी ग्राम गोठरा
9	742	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.133	सीताराम रमेश पुत्रगण हीरालाल प्रेम पुत्री हीरालाल हिस्सा 3/4 समान भाग मु.कुन्ती वेवा लक्ष्मण गुडडी गणेशी पुत्रीयां लक्ष्मण हि 3/16 समान भाग रूकमा

कलक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

					वेवा रामसिंह अनिकेत नाबा0 पुत्र रामसिंह संज्या नाबा0 पुत्री रामसिंह नाबा0 सर0 मां रूकमा हि 1/16 समान भाग जाति सहर नि.ग्राम
10	743	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.252	बीरबल पुत्र हवला जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
11	759	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.168	मुरारी पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
12	760	भू–दान कृषक	कृषि योग्य	0.156	राधे पुत्र रामहेत जाति सहर निवासी ग्राम गौठरा
योग	12	—		3.200	—

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किऐ जा सकेंगे ।

विशेष– धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थानः श्योपुर
तारीख 08.08.2019

न्यायालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी जिला श्योपुर (म.प्र.)

(बसंत कुर्रे)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क........ ./अ–82/भू–अर्जन/2019–20/6299 श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रतिलिपि–

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र मे अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील श्योपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम मे मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत बेवसाईड पर अपलोड हेतु ।

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)